न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध कंटैम्पट प्रकरण संख्या 25 / 2026(GCMS 2026/40)

Union Bank of India Registered Office **Address** Union Bank of India. 239 – Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra-400021 **& Jaipur Asset Recovery Management** Branch 101-110, First Floor, Anukampa Tower, Church Road, Jaipur, Rajasthan – 303001 Through Authorized Officer Umesh Kumar S/o Baleshwar Mahto

बनाम

1. **Mr Harvinder Singh** S/o Mr. Resham Singh Address 10F bada, Mirjewala, Sriganganagar, Rajasthan-335001
2. **Mrs. Paramjit Kour** Addrerss 10-F Bada, Mirjewala, Sriganganagar, Rajasthan - 335001

11.02.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत यादव ने आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी एवं कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अधि. का अप्रार्थीगण हरविन्द्र सिंह एवं परमजीत कौर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और अप्रार्थीगण के खिलाफ कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट की जाकर सजा दिए जाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तिय आस्तियों और प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी बैंक का प्रकरण 190 / 2024 के रूप में दर्ज किया गया और दिनांक 11.12.2024 को निर्णय पारित किया गया था, जिसकी पालना में प्रार्थी बैंक ने उक्त प्रकरण से सम्बन्धित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 30.12.2025 को प्राप्त कर लिया था और अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक की सम्पत्ति पर पुनः कब्जा कर लिया है जिसके विरूद्ध प्रार्थी बैंक ने कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने पूर्व में वित्तिय आस्तियों और प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रकरण पेश किया, **जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.02.2024 की पालना में प्रार्थी बैंक ने दिनांक 30.12.2025 को विवादित सम्पत्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

का कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विवादित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात उक्त विवादित सम्पत्ति विधिवत् रूप से प्रार्थी बैंक की हो गई थी। प्रार्थी बैंक की सम्पत्ति पर यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया है, तो उसके विरूद्ध अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को वित्तिय आस्तियों और प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत के तहत ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत उक्त **प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दु खारिज** किया जाता है। **प्रार्थी बैंक अपनी विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय/अथोरिटी के समक्ष चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है।**

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज होकर, बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:28 IST
Reason: SelfAttested